

स्थापना एवं भर्ती अनुभाग -II

सं.मानू/ई.आर-II/ई.एफ.318/2026-27/681

दिनांक. 13 जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

विषय: पात्र गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में-आदेश-जारी।
संदर्भ: कुलपति महोदय द्वारा दिनांक.08.07.2026 को अनुमोदित।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित दरों पर संलग्न सूची के अनुसार दिनांक: 01.07.2026 से (107) पात्र गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है:

क्र.सं.	वर्ग	पदनाम	प्रतिवर्ष राशि(₹.)
1.	I	चिकित्सा अधिकारी/फार्मसिस्ट/एक्स-रे तकनीशियन और लैब तकनीशियन	₹. 6,250/-
2.	II	नर्सिंग अधिकारी @₹.2250x12	₹.27,000/-
3.	III	वाहन चालक	₹. 6,250/-
4.	IV	बहुकार्यन स्टाफ (रसोइया/कार्यालय परिचारक/लैब परिचारक/पुस्तकालय परिचारक/ छात्रावास परिचारक/ कार्यशाला परिचारक/ किचन परिचारक	₹. 6,250/-

2. इसके अतिरिक्त, वर्दी भत्ते की पात्रता इस शर्त के अधीन होगी कि संबंधित कर्मचारी के प्रमुख/प्रभारी वित्त एवं लेखा अनुभाग को भेजी जाने वाली मासिक उपस्थिति पर प्रमाणित करें, कि कर्मचारी उपस्थिति के विवरण के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान नियमित रूप से वर्दी पहने हुए था।

3. अतः, उपरोक्त सभी पात्र गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को भुगतान जारी करने के लिए दिनांक: 20.07.2026 को या उससे पहले संबंधित प्रमुखों/प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक वचनपत्र वित्त एवं लेखा अनुभाग को जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

//आदेशानुसार//

मुबशिर

बहायक कुलसचिव, स्थापना एवं भर्ती अनुभाग II
Maulana Azad National Urdu University
गच्छिबौली, हैदराबाद ५०००३२
Gachibowli, Hyderabad-500 032

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय
2. वित्त अधिकारी (भुगतान जारी करने हेतु)
3. सभी संकायों/विभागों/केन्द्रों/संस्थानों/अनुभागों आदि के विभागाध्यक्ष
4. सभी योग्य(पात्र) गैर-शैक्षिक कर्मचारी
5. निदेशक, सीआईटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित फाइल